समाहरणालय, शिवहर
(राजस्व प्रशाखा)
:–अल्पकालीन निविदा सूचना–:

शिवहर, जिला अन्तर्गत 05 अंचलों में जमाबंदी पंजी–II के स्कैनिंग हेतु एजेन्सी एवं दर का निर्धारण निम्न प्रकार के कार्य कम्प्यूटर से कराने हेतु मुहरबंद लिफाफा में निविदा आमंत्रित किया जाता है:–

1. जमाबंदी पंजी– II का स्कैनिंग (05 अंचल से संबंधित सभी जमाबंदी पंजी का)
2. स्कैनिंग के पश्चात् ऑन लाईन प्रकाशन।
3. स्कैनिंग के पश्चात् पंजी– II की चार–चार प्रतियॉ हार्ड कॉपी में तैयार किया जायेगा।

इच्छुक निविदादाता तकनीकी एवं वित्तीय निविदा दो अलग–अलग बंद लिफाफो में निम्नलिखित शर्त्तो के साथ दिनांक 30.08.2016 को 03.00 बजे अपराह्न तक अपर समाहर्त्ता, शिवहर के कार्यालय में दे सकते है।

सभी निविदा दिनांक–31.08.2016 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें निविदादाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। निविदा के संबंध में विशेष जानकारी हेतु जिला राजस्व प्रशाखा, शिवहर से किसी भी कार्य दिवस को सम्पर्क किया जा सकता है। कोई भी निविदा निर्धारित तिथि के पश्चात स्वीकार नही की जाएगी।

तकनीकी निविदा में सफल संवेदको की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

–: निविदा की शर्त्तें:–

(क) तकनीकि शर्तें:–

1. तकनीकी निविदा में संस्था का निबंधन प्रमाण पत्र (कम्पनी अधिनियम/अन्य अधिनियम के अन्तर्गत) वाणिज्यकर विभाग से प्राप्त निबंधन प्रमाण–पत्र एवं अद्यतन स्वच्छता प्रमाण पत्र, अद्यतन आयकर रिर्टन दाखिल करने संबंधी प्रमाण पत्र एवं 10,000.00 (दस हजार) रूपये का बैंक ड्रापट जो समाहर्त्ता, शिवहर के नाम देय हो, अनुभव/ किये गये कार्य संबंधी प्रमाण पत्र बिहार सरकार के किसी भी विभाग/संस्था द्वारा एवं काली सूची में संस्थान का नाम शामिल नही रहने संबंधी शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. इस क्षेत्र में अनुभव रखने वाले फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी। अनुभव/कार्यादेश की प्रति संलग्न की जाय।
3. निविदादाता को शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा व्यवहृत सभी operating System Licensed/ Legal Authorized है।
4. स्कैनिंग Book Scanner with a speed of 10 PPM के माध्यम से किया जाना है।
5. निविदादाता को Book Scanner with a speed of 10 PPM का उपयोग कर स्कैनिंग का कार्य करना होगा एवं उक्त कार्यो में प्रयुक्त किये जाने वाले Generator, UPS Server/ Computer की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
6. निविदादाता को तकनीकि क्षमता एवं उनके पास उपलबध साधनों (Pool Source) का विवरण यथा:– कम्प्यूटर सेट, यू0पी0एस0, डिजिटल प्रिंटर, कम्प्यूटर ऑपरेटर की संख्या, स्टाफ की संख्या, जेनरेटर, स्कैनिंग एवं प्रिंट आउट निकालने की क्षमता आदि तथा

सही–सही किये गये कार्यो को दैनिक प्रतिवेदन में अंकित करना होगा। निविदा में अंकित विवरणी उक्त के अनुरूप नही पाये जाने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

7. निविदादाता को लेजर प्रिटिंग हेतु Original Tonner तथा Legal/A3 Size Excutive Bond 80/75 gsm paper का ही उपयोग करना होगा।
8. सभी कार्यो को समाहर्ता द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर समाप्त करना अनिवार्य होगा।
9. निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य नही किये जाने की स्थिति में प्रतिदिन 1000/– (एक हजार) रूपये दण्ड स्वरूप समर्पित विपत्र के माध्यम से जमा करना पड़ेगा। साथ हीं अग्रधन की राशि जप्त करते हुए फर्म को काली सूची में डाल दी जायेगी।
10 किसी भी परिस्थिति में Sub-Contracting स्वीकार नही होगा। इसकी जानकारी मिलने पर एकरारनामा रद्द करते हुए निबंधित फर्म के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी।
11. Book Scanner with a speed of 10 PPM एवं अन्य किसी तकनीकी जानकारी हेतु जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, शिवहर से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।
12. Book Scanner with a speed of 10 PPM का कार्य जिला मुख्यालय में सभी 05 अंचलों के अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, शिवहर तथा जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में कराया जायेगा।
13. आवश्यकतानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्य स्थल परिर्वतन किया जा सकता है, जो निविदादाता को बिना अतिरिक्त भुगतान के मान्य होगा।
14 अस्थायी विद्युतीकरण हेतु जेनरेटर की व्यवस्था निविदादाता को स्वयं के खर्च पर करना होगा। इसके लिए किसी भी प्रकार की अतिरिक्त राशि का भुगतान नही किया जायेगा।
15. राजस्व विभाग से प्राप्त निदेश के आलोक में विभिन्न कार्यो के लिए समय सीमा पुनरीक्षित किया जा सकता है। तदनुसार निर्गत आदेश के अनुरूप कार्य समाप्त करना होगा।

(ख) <u>वित्तीय शर्त्तेः–</u>

1. स्कैनिंग एवं हार्ड कॉपी की प्रिंटिंग दर Legal/A3 Size Excutive Bond 80/75 gsm paper पर मुद्रण (कागज सहित) संबंधित निविदादाता द्वारा दिया जायेगा। (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक 1915/रा0 दिनांक 18.12.2014)

(ग) <u>सामान्य शर्त्तेः–</u>

1. संदर्भित एवं समय सीमा की बाध्यता के मद्देनजर न्यूनतम दर पर कार्य का वितरण एक से अधिक निविदादाताओं के बीच आवंटित किया जा सकता है। निविदादाता के संयुक्त कार्य का आदेश समाहर्ता, शिवहर के पास सुरक्षित रहेगा।
2. चयनित एजेन्सी को, जो भी सरकारी कागजात यथा पंजी– II, स्कैनिंग के लिए दी जायेगी, उसके रख–रखाव की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी, जबतक कि स्कैनिंग के पश्चात मूल पंजी अंचल कार्यालय एवं जिला अभिलेखागार को वापस न कर दिया जायेगा।
3. किसी प्रकार का अग्रिम निविदादाता को देय नही होगा। आवंटन विभाग से प्राप्त होने पर ही देय राशि का भुगतान किया जायेगा। इस कारण भुगतान में विलम्ब होने पर कोई भी सूद की राशि देय नही होगा।
4 किये गये कार्य के विरूद्ध होने वाले भुगतान पर नियमानुसार, बिक्री कर, आयकर एवं अन्य कर की कटौती की जायेगी।
5. सफल एवं चयनित निविदादाता से एकरानामा के पश्चात् ही कार्य का आदेश दिया जायेगा। विहित समय सीमा के अंदर कार्य सम्पन्न करना होगा।

6. कार्य आवंटन से पूर्व राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित बिन्दुओं पर एकरारनामा पर हस्ताक्षर करना होगा।
7. यदि वेण्डर द्वारा समय पर कार्य पूरा नही करने के कारण समाहर्त्ता द्वारा बाहर से कार्य कराया जाता है तो उस पर होने वाला अतिरिक्त व्यय वेण्डर से वसूल किया जायेगा।
8. किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
9. निविदा में बिना किसी कारण संशोधन करने, स्थगित करने या रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
10. फर्म का चयन उनकी तकनीकि दक्षता, न्यूनतम दर एवं निगोशियेशन के आधार पर किया जायेगा। विस्तृत जानकारी के लिए शिवहर के जिले के बेवासईट www.sheohar.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

सो/-
समाहर्त्ता,
शिवहर।

ज्ञापांकः– 536 /रा0, शिवहर, दिनांकः– 04.08.16

प्रतिलिपिः–अपर समाहर्ता, शिवहर/अनुमंडल पदाधिकारी, शिवहर/भूमि सुधार उप समाहर्ता, शिवहर/जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, शिवहर/सहायक आयुक्त, वाणिज्यकर शिवहर/जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, शिवहर/सभी अंचल अधिकारी, शिवहर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। सभी अंचल अधिकारी, शिवहर जिला को निदेश दिया जाता है कि अंचलों में जमाबंदी पंजी–II, की संख्या (पृष्ठो की संख्या के साथ) से संबंधित हलकावार प्रतिवेदन दिनांक 20.08.2016 तक जिला राजस्व प्रशाखा, शिवहर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। साथ ही यह प्रमाण पत्र देगें कि प्रतिवेदित तिथि तक सभी जमाबंदी पंजी की संख्या दर्ज कर दी गई है।

प्रतिलिपिः–वरीय उप समाहर्ता, जिला अभिलेखागार, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–जिला नजारत उप समाहर्ता, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 प्रबंधक, शिवहर को सूचनार्थ। निदेश है कि अल्पकालीन निविदा की प्रति जिले के वेबसाईट पर अपलोड कराना एवं सभी संबंधित को e-mail के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेगे।

प्रतिलिपिः–पुलिस अधीक्षक, शिवहर को सूचनार्थ सुरक्षा प्रबंधन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

समाहर्त्ता
शिवहर। 4/8/16